पत्रांक–7/जन स्वा0–8–01/2013–40(7)9

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

भूपेन्द्र कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना
संबंधित सिविल सर्जन, (सूची संलग्न)।

पटना, दिनांक : 27-6-13

विषय : मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–003 प्रशिक्षण–0002 जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड–N2210060030002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–2014 में अन्य मदों में कुल ₹ 1,95,000/– (एक लाख पंचान्वे हजार रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या–23(7)ब दिनांक–08.05.13 तथा मांग पत्र के क्रम में वित्तीय वर्ष 2013–2014 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में कुल ₹ 1,95,000/– (एक लाख पंचान्वे हजार रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 तथा 4201वि0(2) दिनांक–12.04.2012 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–003 प्रशिक्षण–0002 जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड N2210060030002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–2014 में आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से की जायेगी ।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना /अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगें ।

5. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय।

7. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक– 96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.3.2001, 241(9) दिनांक–21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।

8. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

9. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(भूपेन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव 26/6/13

ज्ञापांक : 40(7)9 पटना, दिनांक : 27-6-13

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बंधित जिला पदाधिकारी/सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी–7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव
26/6/13

विवरणी—।

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना	क्षेत्र प्रदर्शन केन्द्र राजगीर	कुल	अभ्युक्ति
1	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (13—02)	150000	0	150000	387/10.6.13
2	दवा भंडार (21—02)	30000	15000	45000	
	कुल	180000	15000	195000	

(एक लाख पंचान्वे हजार रू. मात्र)

सरकार के संयुक्त सचिव
26/6/13

विवरणी—II

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाईयां	कुल उपबंधित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	वेतन (01—01)	75294000	51870000	0	51870000	23424000
2	जीवन यापन भत्ता (01—03)	63999000	41496000	0	41496000	22503000
3	मकान किराया भत्ता (01—04)	11294000	8850200	0	8850200	2443800
4	परिवहन भत्ता (01—05)	354000	225000	0	225000	129000
5	चिकित्सा भत्ता (01—06)	1018000	816960	0	816960	201040
6	अन्य भत्ता (01—07)	975000	743940	0	743940	231060
	योग वेतन एवं भत्तेः—	**152934000**	**104002100**	**0**	**104002100**	**48931900**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06—01)	500000	0	0	0	500000
8	यात्रा व्यय (11—01)	200000	0	0	0	200000
9	कार्यालय व्यय (13—01)	250000	108000	0	108000	142000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (13—02)	200000	0	150000	150000	50000
11	दूरभाष (13—03)	12000	6000	0	6000	6000
12	विद्युत प्रभार (13—04)	100000	50000	0	50000	50000
13	विधि प्रभार (13—05)	100000	53000	0	53000	47000
14	वर्दी / पोषाक (13—06)	100000	54500	0	54500	45500
15	किराया महसूल एवं कर (14—01)	108000	54000	0	54000	54000
16	प्रशिक्षण व्यय (20—03)	1130000	0	0	0	1130000
17	सामग्री एवं पूर्तियॉ (21—01)	100000	0	0	0	100000
18	दवा भंडार (21—02)	200000	80000	45000	125000	75000
19	छात्रवृत्ति / वजीफा (34—01)	26000	13000	0	13000	13000
20	मशीने एवं उपस्कर (52—01)	277000	0	0	0	277000
	कुल योगः—	**156237000**	**104420600**	**195000**	**104615600**	**51621400**

सरकार के संयुक्त सचिव
26/6/13

40(7)a
27-6-13